प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.07.2025

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित एक शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस तथा हर्ष विहार दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद।

थाना टीलामोड क्षेत्रांतर्गत अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना टीलामोड पुलिस द्वारा सघन चेकिंग के दौरान आज दिनांक 23.07.2025 को ओक्सीहोम सोसाईटी के सामने भोपुरा की ओर जाने वाली सडक पर चेकिंग की जा रही थी। दौराने चेकिंग टीलामोड की तरफ से तेजी से आ रही मोटरसाईकिल को चेकिंग हेतु रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति ने मोटरसाईकिल को कुटी के जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास किया। टार्च की रोशनी डालकर देखा तो मोटरसाईकिल पर एक व्यक्ति सवार था। पुलिस पार्टी द्वारा चिल्लाकर रूकने को कहा और इनका पीछा किया तो तेजी व हड़बड़ी के कारण मोटरसाईकिल अनियंत्रित होकर फिसलकर गिर गयी। जैसे ही पुलिस टीम उसकी तरफ बढ़ी तो उक्त व्यक्ति ने तुरंत संभलकर पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुये जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी संयमित एक फायर किया जिससे बदमाश घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र शेख अफसर निवासी ग्राम नांगली थाना नहटौर जिला बिजनौर हाल पता म0न0 70 डी- ब्लाक गली न0 03 श्री राम कालोनी रहीस के मकान के पास कच्ची खजूरी थाना खजूरीखास दिल्ली उम्र 27 वर्ष बताया। अभियुकत के कब्जे से एक तमंचा मय एक खोखा कारतूस व एक जिन्दा कारतूस तथा थाना हर्ष विहार दिल्ली पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित चोरी की गई मोटरसाईकिल स्पेलण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन न0 UP14FH1451 बरामद हुई है। बरामद मोटरसाईकिल को अभियुक्त द्वारा इसी महीने की 10 तारीख को हर्ष विहार दिल्ली से चोरी करना बताया है। अभियुक्त गुड्डू उर्फ शादाब थाना टीलामोड़ पर पंजीकृत गैगस्टर एक्ट के एक अभियोग में वांछित चल रहा था। घायल अभियुक्त गुड्डू उर्फ शादाब को उपचार हेतु 50 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय लोनी गा0बाद भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने साथी लकी उर्फ लक्की वर्मा के साथ मिलकर चोरी के वाहनों का प्रयोग कर चैन स्नैचिंग करता हूँ। जिसमें हम दोनों पहले जेल में रहे थे। मेरा साथी लकी

उर्फ लक्की वर्मा गैंगस्टर के मुकदमे में डासना गा0बाद जेल में है। यह मोटरसाईकिल मैनें इसी महीने की 10 तारीख को हर्ष विहार दिल्ली से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गुड्डू उर्फ शादाब पुत्र शेख अफसर निवासी- ग्राम नांगली थाना नहटौर जिला बिजनौर, हाल पता म0न0 70 डी- ब्लाक गली न0 03 श्री राम कालोनी रहीस के मकान के पास कच्ची खजूरी थाना खजूरीखास दिल्ली उम्र 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, थाना हर्ष विहार दिल्ली से चोरी की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस रजि0न0 UP14FH1451 बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध गाजियाबाद के थाना टीलामोड ,शालीमार गार्डन ,इन्दिरापुरम , क्रासिंग रिपब्लिक , साहिबाबाद ,अंकुर विहार एवं दिल्ली के करीब 24 मुकदमे चोरी/ लूट व छिनैती व गैंगस्टर एक्ट से संबंधित पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना टीलामोड पुलिस टीम।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा मेरठ तिराहा से गंगनहर मुरादनगर (छोटा हरिद्वार) तक कावड़ मार्ग व श्री दूधेश्वरनाथ मंदिर परिसर का भ्रमण किया गया।

श्रावण मास कांवड़ यात्रा एवं महाशिवरात्रि पर्व की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत दिनांक 22.07.2025 को रात्रि में पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा मेरठ तिराहा से गंगनगर मुरादनगर (छोटा हरिद्वार) तक कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान गंगनगर पर स्थित कांवड़ कण्ट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया तथा पैदल गस्त एवं स्टीमर द्वारा गंगनहर घाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान, पुलिस आयुक्त महोदय ने घाटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, यातायात प्रबंधन, और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। भ्रमण के दौरान पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात एवं अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा श्रावण मास शिवरात्रि के अवसर पर जलाभिषेक के दृष्टिगत दूधेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त महोदय ने मंदिर परिसर में सुरक्षा बलों की तैनाती, भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवं जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गये । भ्रमण के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून-व्यवस्था,जिलाधिकारी गाजियाबाद, एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

पुलिस आयुक्त एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों को कांवड़ यात्रा के दौरान आपसी समन्वय बनाते हुए यात्रियों एवं नागरिकों की सुरक्षा एवं सुगमता हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के दृष्टिगत अधिकारी/कर्मचारीगणों को समयबद्ध सूचना प्रवाह, त्वरित प्रतिक्रिया, तत्परता एवं भीड़ नियंत्रण हेतु विशेष निर्देश दिए गए।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू, मोटर साइकिल तथा मृतक का मोबाइल फोन बरामद।

आज दिनांक 23.07.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादी श्री राघवेन्द्र मिश्रा पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी ग्राम हचौडा थाना पचदेवरा जिला हरदोई द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के भांजे शिवम उर्फ बाला उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी साढे चार पुस्ता पहाडी होटल वाली गली न0 8 जयप्रकाश नगर थाना उस्मानपुर दिल्ली की 1. मोहसीन पुत्र नूरूदीन निवासी गढ्ढा कालोनी पावी ट्रोनिका सिटी, 2. सूरज पुत्र रामकुमार निवासी कासिम विहार ट्रोनिका सिटी व एक अन्य नामजद द्वारा चाकू मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दाखिल की। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। सर्विलांस व विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की वृद्दि की गयी।

तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्तगण 1. मोहसीन पुत्र नूरुदीन निवासी गढ्ढा कालोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष, 2. सूरज पुत्र रामकुमार निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को आकाश विहार, थाना क्षेत्र अंकुर विहार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर गंगा विहार थाना क्षेत्र अंकुर विहार से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू बरामद किया गया तथा आकाश

विहार से अभियुक्तगण उपरोक्त की मोटर साइकिल बरामद की गयी तथा घटनास्थल आकाश विहार के पास भांग की झाडियो में से मृतक शिवम उर्फ बाला का मोबाइल फोन (ओप्पो हल्का हरा रंग) बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 20.07.2025 को हम तीनों मोटर साइकिल पर जा रहे थे तो हम तीनों सभापुर अण्डरपास के पास लिंक रोड पर मोटर साइकिल को रोककर पास में खडे भांग के पेडों से भांग रगड़ने लगे। उस समय वहां पर पूर्व से दो अन्य ई-रिक्शा चालक भी भांग रगड़ रहे थे। वहीं पर हम सबने मिलकर भांग भी पी थी और उसी दौरान हमारा आपस में परिचय भी हो गया। भांग के नशे में ही हमारा आपस में किसी बात को लेकर झगडा हो गया और बात इतनी बढी की हाथापाई की नौबत आ गयी। हाथापाई के दौरान ही सूरज ने मृतक शिवम (ई-रिक्शा चालक) को पीछे से कोली भरकर पकड लिया और बाल अपचारी ने उसके हाथ पकड लिये और मोहसीन ने अपनी मोटर साइकिल में रखा चाकू निकालकर सामने से उसकी छाती और सिर में कई जगह चाकू से वार किये, जिससे शिवम वहीं पर गिर पडा। इसी दौरान शिवम का मोबाइल फोन भी वहीं पर गिर गया था, दौराने घटना शिवम का दूसरा साथी बचाव हेतु आया तो हमने उसे चाकू दिखाकर डरा दिया था। घटना के बाद वहीं पर पास में गिरे हुए शिवम के मोबाइल फोन तथा चाकू को पास में ही झाडियों में छिपा दिया था और हम सब अपनी मोटर साइकिल से वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. मोहसीन पुत्र नूरदीन निवासी गढ्ढा कालोनी पावी थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र 20 वर्ष ।
2. सूरज पुत्र रामकुमार निवासी कासिम विहार थाना ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष ।

01 बाल अपचारी अभिरक्षा में।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे/निशांदेही से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू, मोटर साईकिल तथा मृतक का मोबाईल फोन बरामद।

कार्यवाही/ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।